<u>प्रकरण क्र० 4285/22</u>

<u>शासन वि० झोलाबाई पटले</u>

Witness No........04 ....for..........**अभियोजन साक्ष्य** ....Deposition taken the....**25/04/2023**....day of........Witness's apparent age.....28...........

States on affirmation **शपथ पूर्वक** –My name is ......**मनीष कुमार साहू**

S/of...... **श्री अश्वनी कुमार साहू** .... *Occupation.......***आबकारी उपनिरीक्षक**

Address............. **आबकारी वृत्त् स०लोहारा जिला कबीरधाम छ०ग०**

01. मैं, दिनांक 28.11.2022 को आबकारी वृत्त् स०लोहारा में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था । उसी दिनांक को थाना स०लोहारा के अपराध क्र० 369/22 में जप्तशुदा सामग्री एक काले रंग का बैग थाने से सील चपड़ा लगा जिसकी सील तोड़कर देखने पर 20 नग पाव की शिशीयों में भरा तरल द्रव्य प्रत्येक पाव की शिशीयों में 180–180 एम एल भरी हुई तरल द्रवय सीलबंद स्थिति में मेरे समक्ष आरक्षक दिलहरण मरकाम क्र० 447 द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसकी सील तोड़कर जांच करने पर निम्नानुसार पाया–

01. दव्य का रंग देखने पर रंगहीन अल्प पारदर्शी तरल द्रव्य होना पाया ।

02. द्रव्य की गंध सूंघने पर देशी प्लेन मदिरा का विशेष गंध होना पाया ।

03. द्रव्य की स्वाद चखने पर चरपरा तीखापन स्प्रीट युक्त् होना पाया ।

04. द्रव्य में नीला लिटमस पेपर डालने पर पेपर का अप्रभावित होना पाया ।

05. द्रव्य की तेजी थर्मामीटर व हाईड्रोमीटर से मापने पर तेजी 50.3 डिग्री यूपी होना पाया गया

02. उक्त परीक्षण एवं अनुभव के आधार पर तरल द्रव्य को देशी प्लेन मदिंरा होना पाया गा । जाच पश्चात मुद्देमाल को सीलबंद कर प्रस्तुतकर्ता आरक्षक को मय जांच प्रतिवेदन प्रदान किया । जांच प्रतिवेदन प्र०पी० 13 है जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है ।

<u>प्रतिरीक्षण द्वारा श्री संदीप केसरी अधिवक्ता वास्ते अभ्युिक्त –</u>

03. यह कहना सही है कि जप्तशुदा मदिरा मुझे दिनांक 28.11.2022 को प्राप्त हुआ इसके पहले वह पुलिस के कब्जे में था । यह कहना सही है कि भौतिक परीक्षण किया गया है रासायनिक विश्लेषण नहीं किया गया है । स्वतः कहा कि प्रशिक्षण दौरान प्रदत्त हाईड्रोमीटर एवं थर्मामीटर जैसे सामग्री का उपयोग कर मदिरा का परीक्षण किया गया । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा अनुभव के आधार पर परीक्षण किया गया है कोई प्रमाण पत्र प्रकरण में संलग्न नहीं है ।

04. यह कहना सही है कि लिटमस पेपर का एक्सपायरी डेट का उल्लेख नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि कुछ देशी दवाओं में एलकोहल का गंध आता है । यह कहना गलत है कि पुलिस के प्रभाव में आकर झूठा प्रतिवेदन दिया गया ।

वाचित सही स्वीकृत **साक्षी के हस्ताक्षर** **मेरे निर्देशन पर टंकित**

सही/–
(रूपनारायण पठारे)
अति०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–कबीरधाम छ०ग०

सही/–
(रूपनारायण पठारे)
अति०मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–कबीरधाम छ०ग०